रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 95] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 1981/फाल्गुन 28, 1902
No. 95] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 1981/PHALGUNA 28, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1981

सीमा शुल्क

सा. का. नि. 184 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71.01 के अन्तर्गत आने वाले अपरिष्कृत कल्चरी मोतियों को (जिनके अन्तर्गत अपरिष्कृत असली और कल्चरी मोती समाविष्ट करते हुए मोतियों के अधिमिश्रण भी हैं) जब उनका भारत में आयात किया जाए, उन पर उद्ग्रहणीय उस सम्पूर्ण सीमा शुल्क से, जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, छूट देती है ।

[सं. 66/का. सं. 355/2/79-सीमा-शुल्क]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 19th March, 1981

CUSTOMS

G.S.R 184(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts raw cultured pearls (including and mixtures of pearls containing raw pearls and cultured pearls) falling under Heading

No. 71.01 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule.

[No. 66/F. No. 355/2/79-Cus. I]

सा. का. नि. 185 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1981 के खण्ड 47 के उपखण्ड (4) के साथ, जिस खण्ड को अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल प्राप्त है, पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं. 71.01 के अन्तर्गत आने वाले अपरिष्कृत असली और कल्चरी मोतियों और अपरिष्कृत कल्चरी मोतियों को (जिनके अन्तर्गत अपरिष्कृत असली मोती समाविष्ट करते हुए मोतियों के अधिमिश्रण भी है), जब उनका भारत में आयात किया जाए, उक्त वित्त विधेयक के खण्ड 47 के उपखण्ड (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सहायक सीमा शुल्क से छूट देती है ।

[सं. 67/फा. सं. 355/2/79-सीमा शुल्क-1]

के. चन्द्रमौली, अवर सचिव

G.S.R. 185(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 47 of the Finance Bill, 1981, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts raw real pearls, cultured pearls and raw cultured pearls (including admixtures of pearls containing raw real pearls and cultured pearls) falling under Heading No. 71.01 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) when imported into India, from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 47 of the said Finance Bill.

[No. 67/F. No. 355/2/79-Cus. I]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981